स्थाई आधार पंजीयन केंद्र हेतु मार्गदर्शिका

छत्तीसगढ़ राज्य शासन एवं UIDAI द्वारा राज्य में चॉइस केन्द्रों/सामान्य सेवा केन्द्रों के माध्यम से आधार पंजीयन के कार्य के लिए चिप्स को आधार पंजीयन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है. जिसके आधार पर राज्य के समस्त चॉइस केंद्र/सामान्य सेवा केंद्र अपने केन्द्रों से आधार पंजीयन का कार्य प्रारंभ कर सकते है.

आधार पंजीयन का कार्य प्रारंभ किये जाने हेतु निम्नलिखित प्रक्रियाओ का अनुसरण करे.

1. आधार पंजीयन करने वाले सुपरवाइजर/ऑपरेटर का स्वयं का आधार नंबर होना आवश्यक है.
2. UIDAI द्वारा अधिकृत निम्न एजेंसियों के माध्यम से आधार पंजीयन प्रारंभ किये जाने हेतु सुपरवाइजर की परीक्षा पास करना अनिवार्य है.
   - http://uidai.sifyitest.com/
   - https://uidai.nseitexams.com/UIDAI/LoginAction_input.action
3. चॉइस एजेंट उपरोक्त किसी भी एजेंसी से EA सुपरवाइजर (EA Supervisor) परिक्षा में भाग लेने के लिए आवेदन करे.
4. परीक्षा से सम्बंधित विषय वस्तु (study material) प्राप्त किये जाने हेतु चिप्स कार्यालय चौथी मंजिल में प्रातः 11:00 से सायं 5:00 के मध्य श्री नितेश लाला मोबाइल नंबर - 9826889841 से संपर्क करे. विषय वस्तु (study material) प्राप्त किये जाने हेतु 4GB की पेन ड्राइव लाना आवश्यक है.
5. सुपरवाइजर/ऑपरेटर परिक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् चॉइस एजेंट्स/इच्छुक आवेदक चिप्स कार्यालय में श्री परितोष डोनगाँवकर एवं श्री मदन मोहन राउत से कार्यालयीन समय में संपर्क स्थापित कर आगे की कार्यवाही कर सकते है.
6. सुपरवाइजर/ऑपरेटर को किसी निर्धारित मानदेय पर भी लिया जाकर कार्य प्रारंभ किया जा सकता है.
7. आधार पंजीयन का कार्य प्रारंभ किये जाने हेतु एक लैपटॉप एवं बायोमेट्रिक उपकरण (फिंगर प्रिंट स्कैनर, आईरिस एवं वेब केम) की आवश्यकता होती है, लैपटॉप बाज़ार से स्वयं को खरीदना होगा तथा बायोमेट्रिक उपकरण बाज़ार में यदि उपलब्ध है तो ख़रीदे जा सकते है.
8. लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन (Windows-7 32bit Operating System, 4GB RAM, Processor I-3/वर्तमान में प्रचलित अन्य, Hard Disc 500 GB minimum जिसमे से C Drive 100 GB minimum)
9. चिप्स में CSC e-Governance Services India Limited द्वारा उपलब्ध कराये गए बायोमेट्रिकउपकरणों की लागत रु. 70000/- (रु. सत्तर हजार मात्र) है, जिसे CSC e-Governance Services India Limited, payable at New Delhi के नाम से Rs.30000/-(रु.तीस हजार मात्र) का Demand Draft (DD) देकर प्राप्त किया जा सकता है. शेष 40000/- (रु.चालीस हजार मात्र) आधार पंजीयन से प्राप्त होने वाले कमीशन से 5000/- (रु. पाच हजार मात्र) की 8 समान किश्तों से काटा जायेगा.
10. आधार पंजीयन का कार्य प्रारंभ करने के लिए चिप्स कार्यालय में जमा किये जाने वाले दस्तावेज एवं :-
    - बायोडाटा की स्वच्छ प्रति (नाम, चॉइस केंद्र/सामान्य सेवा केंद्र का पूर्ण पता,ग्राम/शहर तहसील एवं जिला, मोबाइल नंबर, ईमेल id), एक पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ.
    - सुपरवाइजर certificate की छायाप्रति.
    - CSC/OMT ID
    - CSC e-Governance Services India Limited, payable at New Delhi के नाम से Rs.30000/-(रु.तीस हजार मात्र) का Demand Draft (DD).

__________00__________